न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

अपील संख्या 103/2019

1. दिनेश कुमार पुत्र रामनिवास, जाति जाट, निवासी लोटासरो की ढाणी, तहसील व जिला झुंझुनूं।
2. मनोज कुमार पुत्र रामनिवास, जाति जाट, निवासी लोटासरो की ढाणी, तहसील व जिला झुंझुनूं।

——अपीलान्ट

बनाम

1. अनिता स्त्री रमेश, जाति जाट, निवासी लोटासरो की ढाणी, तहसील व जिला झुंझुनूं।
2. सत्यवीर पुत्र रामनिवास
3. शान्ति स्त्री रामनिवास
4. मन्जू पुत्री रामनिवास
5. सुरेश पुत्र हुक्माराम
6. राजकुमार पुत्र हुक्माराम

जाति जाट, निवासी लोटसरो की ढाणी, तहसील व जिला झुंझुनूं।

——रेस्पोडेन्ट

——

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील बखिलाफ निर्णय दिनांक 28.08.2019 बअदालत तहसीलदार झुंझुनूं मुकदमा उनवानी श्रीमती अनिता बनाम दिनेश वगैरह मु0न0 05/2019 अ0धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

——

1. श्री राजेश पूनिया, एडवोकेट— अपीलान्ट की ओर से उपस्थित।
2. श्री मो0 फारूक, एडवोकेट— रेस्पोडेन्ट सं0 1 की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक 27.07.2022

उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार झुंझुनूं के आदेश दिनांक 28.08.2019 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गयी। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपील अपीलान्ट निम्न प्रकार पेश है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आलौच्य निर्णय दिनांक 28.08.2019 खिलाफ कानून न्याय एवं पत्रावली है मौजूदा प्रकरण अनिता स्त्री रमेशकुमार जाति जाट निवासी लोटासरा की ढाणी के प्रार्थना पत्र दिनांक 08.07.2019 पर दर्ज हुआ है। अनिता स्त्री रमेश ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 08.07.2019 में यह नही किया की वह कौनसे गांव की सीमा में कौनसे खसरा नम्बर की खातेदार है। रेस्पोडेन्ट सं0 1 उक्त शिकायत कर्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में कहीं भी यह नही लिखा कि उनकी कौनसे खसरा नम्बर की जमीन के वे खातेदार है तथा कौनसे खसरा नम्बर में किस कदर रास्ता अवरूद्ध किया है। इस प्रकार मौजूदा प्रकरण अदालत मातहत में धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत क्यों दर्ज किया स्पष्ट नहीं है। इस कारण मौजूदा प्रकरण में धारा 215 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधान लागू नही होने के कारण आलौच्य निर्णय खारीज किया जाना न्यायोचित है। मौजूदा प्रकरण में यह स्पष्ट नही है कि तथाकथित रूप से रास्ता ख0न0 248 ग्राम लोटासरा की ढाणी में अवरूद्ध किया है या ख0न0 249 में ख0न0 249 की किस्म गैर मुमकीन आबादी है। धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधान गैर मुमकीन आबादी भूमि पर लागू नही होवे। जमीन हाल ख0न0 229, 228, 227 ग्राम लोटासरा की ढाणी

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.08.01 17:30:39 IST
Reason: SelfAttested

की खातेदार अनिता स्त्री रमेश नही है। कानून से धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सिर्फ अवरूद्ध रास्ता खुलवाने के लिये खातेदार ही प्रार्थना पत्र पेश कर सकता है। धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत नया रास्ता कायम नही किया जा सकता। ख0न0 229 व 227 की जमीन के पहले से एक कदीमी चालू रास्ता ख0न0 227 की पूर्वी दिशा से औला की ढाणी से रास्ता आने जाने के लिये मौजूद है जो चालू है शिकायत कर्ता उक्त रास्ता का ही उपयोग व उपभोग करते है ख0न0 248 से शिकायत कर्ता का कभी आने जाने का रास्ता नही रहा। इस कारण धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत नया रास्ता नही खोला जा सकता। तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 14.05.2019 में लिखा है कि उक्त तथाकथित रास्ता को अनिता स्त्री दलीप व नरेन्द्र पुत्र विद्याधर ने अवरूद्ध किया है जबकि प्रकरण में अनिता स्त्री दलीप एवं नरेन्द्र पुत्र विद्याधर को पक्षकार नही बनाया। अदालत मातहत ने अपीलान्टस की जबाब देही को गलत रूप से नजर अन्दाज कर आलौच्य निर्णय पारित किया है। आलौच्य निर्णय स्पष्ट नही है तथा आलौच्य निर्णय पारित करने का कोई आधार दर्ज नही किया। निर्णय में सभी पक्षकारों का नाम दर्ज नही किया। अतः अपील पेशकर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा पारित आलौच्य निर्णय दिनांक 28.08.2019 निरस्त किया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि मौजूदा प्रकरण अनिता स्त्री रमेशकुमार जाति जाट निवासी लोटासरा की ढाणी के प्रार्थना पत्र दिनांक 08.07.2019 पर दर्ज हुआ है। अनिता स्त्री रमेश ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 08.07.2019 में यह दर्ज नही किया की वह कौनसे गांव की सीमा में कौनसे खसरा नम्बर की खातेदार है। रेस्पोडेन्ट नं0 1 उक्त शिकायत कर्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में कहीं भी यह नही लिखा कि उनकी कौनसे खसरा नम्बर की जमीन के वे खातेदार है तथा कौनसे खसरा नम्बर में किस व्यक्ति ने रास्ता तथाकथित रूप से अवरूद्ध किया है। इस प्रकार मौजूदा प्रकरण अदालत मातहत ने धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत क्यों दर्ज किया स्पष्ट नहीं है। इस कारण मौजूदा प्रकरण में धारा 215 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधान लागू नही होने के कारण आलौच्य निर्णय खारीज किया जाना न्यायोचित है। मौजूदा प्रकरण में यह स्पष्ट नही है कि तथाकथित रूप से रास्ता ख0न0 248 ग्राम लोटासरा की ढाणी में अवरूद्ध किया है या ख0न0 249 में ख0न0 249 की किस्म गैर मुमकीन आबादी है। धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधान गैर मुमकीन आबादी भूमि पर लागू नही होते। जमीन हाल ख0न0 229, 228, 227 ग्राम लोटासरा की ढाणी की खातेदार अनिता स्त्री रमेश नही है। कानून से धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सिर्फ अवरूद्ध रास्ता खुलवाने के लिये खातेदार ही प्रार्थना पत्र पेश कर सकता है। धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत नया रास्ता कायम नही किया जा सकता। ख0न0 229 व 227 की जमीन के पहले से एक कदीमी चालू रास्ता ख0न0 227 की पूर्वी दिशा से औला की ढाणी से रास्ता आने जाने के लिये मौजूद है जो चालू है शिकायत कर्ता उक्त रास्ता का ही उपयोग व उपभोग करते है ख0न0 248 से शिकायत कर्ता का कभी आने जाने का रास्ता नही रहा। इस कारण धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत नया रास्ता नही खोला जा सकता। तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 14.05.2019 में लिखा है कि उक्त तथाकथित रास्ता को अनिता स्त्री दलीप व नरेन्द्र पुत्र विद्याधर ने अवरूद्ध किया है जबकि प्रकरण में अनिता स्त्री दलीप एवं नरेन्द्र पुत्र विद्याधर को पक्षकार नही बनाया। अदालत मातहत ने अपीलान्टस की जबाब देही को गलत रूप से नजर अन्दाज कर आलौच्य निर्णय पारित किया है। आलौच्य निर्णय स्पष्ट नही है तथा आलौच्य निर्णय पारित करने का कोई आधार दर्ज नही किया। निर्णय में सभी पक्षकारों का नाम दर्ज नही किया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा पारित आलौच्य निर्णय दिनांक 28.08.2019 निरस्त किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kun
Date: 2022.08.01 17:30:39 IST
Reason: SelfAttested

वकील रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने वकील अपीलान्ट्स के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि तहसीलदार झुंझुनूं का आदेश विधिसम्मत् है। विवादित भूमि के मौके पर पक्की सडक बनी हुई है जिसे अपीलान्ट ने छडी वगैरह डालकर बन्द कर दिया था। मौके पर बन्द रास्ते को खुलवाया गया है। उक्त सडक सार्वजनिक निर्माण विभाग की है। अपीलान्ट को सडक व रास्ते को रोकने का कोई हक नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। दस्तावेजों के अवलोकन से जाहिर है कि विवादित भूमि के मौके पर सडक बनी हुई है। अपीलान्ट ने रास्ते व सडक को छडी डालकर बन्द किया है। उक्त सडक सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई है। अदालत मातहत ने उचित निर्णय पारित किया है। हम अदालत मातहत के निर्णय मे हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है। अपील अपीलान्ट सारहीन है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। मौके पर रास्ता खुला रहेगा। अपील खारिज होने की स्थिति मे प्रार्थना पत्र स्थगन बाबत अलग से कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नही है। रिकार्ड अदालत मातहत को आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 27.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर,
झुंझुनूं

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.08.01 17:30:39 IST
Reason: SelfAttested